न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश चन्द्र बहेडिया, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 68/24 (विविध प्रा. पत्र)

GCMS No. : 2024/214

अनवान

1. उम्मेदराम पिता श्री जेता रावत निवासी रलतों का खेडा तहसील भीण्डर हाल डेडकिया उमरडा जिला उदयपुर राज.।

..................प्रार्थी

बनाम

1. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

दिनांक : 29.08.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गोटीपा पटवार हल्का कुण्डई भू अभिलेख निरिक्षक कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. में आराजी न. 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 530, 531, 612, 616, 617, 618, 621 किता 14 रकबा 1.7900 है. भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता जेता पिता वेणा के नाम 1/5 हिस्से से अंकित है।

2. यह कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि पहले वेणा के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की थी ओर वेणा जी का निधन हो जाने के वाद उक्त भूमि उनके पुत्रो के नाम विरासत से अंकित हुई। प्रार्थी द्वारा वताया की प्रार्थी के पिता की जाति राजस्व रेकर्ड में मीणा जाति अंकित है जव कि प्रार्थी की जाति मीणा नहीं होकर रावत है ओर गत सेटलमेंट के दौरान प्रार्थी के मोरूस वेणा की जाति रावत के वजाय सेवन से मीणा अंकित कर दी गयी जो गलत है। प्रार्थी के मोरूस की गांव कूंथवास में आराजी न. 2499 व 2502 थी जिसमें भी सेवन से रावत के वजाय मीणा अंकित हो गया जिसकी हमारे मोरूस द्वारा कानूनी कार्यवाही करायी गयी जिसके वाद कूंथवास में जाति मीणा के वजाय रावत अंकित कर दी गयी किन्तु विवादित भूमि में मीणा जाति अंकित रह जाने से मुझ प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पड रहा है अतः प्रार्थनाग्रस्त भूमि में जाति मीणा के वजाय रावत संशोधित किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:37:14 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई व रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम गोटिपा पटवार हल्का कुण्डई में वर्तमान जमावन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 41 में खातेदार तेजा, नाथू, नवला, प्रथा, भीमा पिता वेणा जाति मीणा सा. रेलावतों का खेडा म. देह खातेदार के नाम खसरा सं. 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 612, 615, 617, 618, 621 कुल रकवा 1.7900 है. भूमि दर्ज रेकर्ड हैं।

तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि उपरोक्त खातेदारन के नाम राजस्व ग्राम कुंथवास पटवार हल्का कुंथवास में भी खातेदारी भूमि दर्ज थी जिसमें निर्णय न्यायालय सहायक भू–प्रवन्ध अधिकारी द्वित्तीय, उदयपुर के मि.न. 34/2001 दिनांक 12.12.2001 अनुसार खातेदार जेता पिता वेणा की जाति मीणा के वजाय रावत दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। यह कि निर्णय न्यायालय सहायक भू–प्रवन्ध अधिकारी द्वित्तीय, उदयपुर दिनांक 12.12.2001 की पालना में तथा तहसीलदार वल्लभनगर के आदेश क्रमांक भू.अ./ASO2/मि.नं. 34/2001 दिनांक 12.12.2001 की पालना में ग्राम कुंथवास में खाता सं. 306 में नामांतरण सं. 1105 इन्द्राज दुरस्ती का स्वीकृत होकर खातेदार जेता पिता वेणा की जाति मीणा के वजाय रावत दर्ज की गयी है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा राजस्व ग्राम गोटिपा पटवार हल्का कुण्डई में वर्तमान जमावन्दी संवत् 2078–81 के खाता सं. 41 में खातेदार तेजा, नाथू, नवला, प्रथा, भीमा पिता वेणा की जाति मीणा के वजाय रावत किये जाने की अनुशंषा की।

5. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी को सुना। हमने पाया की राजस्व ग्राम गोटिपा पटवार हल्का कुण्डई तहसील भीण्डर की खाता संख्या नया 41 में दर्ज खातेदारों की जाति मीणा अंकित है जो गलत अंकित होने से मीणा के वजाय रावत किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट से पाया की उपरोक्त खातेदारन के नाम राजस्व ग्राम कुंथवास पटवार हल्का [illegible]स में भी खातेदारी भूमि दर्ज थी जिसमें निर्णय न्यायालय सहायक भू–प्रवन्ध अधिकारी [illegible]तीय, उदयपुर के मि.न. 34/2001 दिनांक 12.12.2001 अनुसार खातेदार जेता पिता वेणा की जाति मीणा के वजाय रावत दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:37:14 IST
Reason: SelfAttested

करने का आदेश पारित किये गये जो उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट है। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार वल्लभनगर के आदेश क्रमांक भू.अ./ASO2/मि.नं. 34/2001 दिनांक 12.12.2001 की पालना में ग्राम कुंथवास में खाता सं. 306 में नामांतरण सं. 1105 इन्द्राज दुररती का स्वीकृत होकर खातेदार जेता पिता वेणा की जाति मीणा के बजाय रावत दर्ज की गयी है जो नामान्तरण के दस्तावेज से स्पष्ट है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1975 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें खातेदार प्रथा, जेता, नाथु, नवला, भीमा पिता वेणा की जाति रावत अंकित हैं जिससे स्पष्ट है कि खाता संख्या नया 41 में अंकित खातेदारों की जाति रावत ही हैं जो सेवन से मीणा गलत अंकित हो गई हैं। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा भी खाता संख्या नया 41 में अंकित खातेदारों की जाति मीणा के बजाय रावत अंकित किये जाने की स्पष्ट अनुशंषा की हैं।

6. अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज व तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मोजा गोटीपा पटवार हल्का कुण्डई भू अभिलेख निरीक्षक कुण्डई तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमाबंदी सम्वत् 2078-81 की खाता संख्या नया 41 में अंकित समस्त खातेदारो की जाति मीणा के बजाय रावत किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:37:14 IST
Reason: SelfAttested